रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2009/फाल्गुन 8, 1930
No. 118] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009/PHALGUNA 8, 1930

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 136 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 14 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 में,—

(i) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"3. वेतन अध्यक्ष को तीन लाख रुपए समेकित मासिक वेतन का संदाय किया जाएगा और प्रत्येक सदस्य को दो लाख पचास रुपए समेकित मासिक वेतन का संदाय किया जाएगा । वे आवास और कार के हकदार नहीं होंगे । " ;

(ii) नियम 5 का लोप किया जाएगा ।

(iii) नियम 7 में "केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' में पद धारण करने वाले समतुल्य वेतन आहरित करने वाले" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"अध्यक्ष की दशा में केन्द्रीय सरकार में सर्वोच्च श्रेणी (अस्सी हजार रुपए नियत) और सदस्यों की दशा में वेतनबैंड-4(37400-67000 रुपए) में बारह हजार रुपए का ग्रेड वेतन वाले ।"

(iv) नियम 8 में "केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' में पद धारण करने वाले समतुल्य वेतन आहरित करने वाले " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"अध्यक्ष की दशा में केन्द्रीय सरकार में सर्वोच्च श्रेणी (अस्सी हजार रुपए नियत) और सदस्यों की दशा में वेतनबैंड-4(37400-67000 रुपए) में बारह हजार रुपए का ग्रेड वेतन वाले ।"

(v) नियम 9 में, "केन्द्रीय समूह 'क' में पद धारण करने वाले समतुल्य वेतन आहरित करने वाले " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"अध्यक्ष की दशा में केन्द्रीय सरकार में सर्वोच्च श्रेणी (अस्सी हजार रुपए नियत) और सदस्यों की दशा में वेतनबैंड-4(37400-67000 रुपए) में बारह हजार रुपए का ग्रेड वेतन वाले ।"

(vi) नियम 10 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 5/5/2003-आईजीसी]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 784(अ) तारीख 6 अक्तूबर, 2003 को प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2009

G.S.R. 136 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (1) of Section 14 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003,—

(i) for rule 3 the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Pay.—The Chairperson shall be paid a consolidated monthly salary of rupees three lakh and every Member shall be paid a consolidated monthly salary of rupees two lakh fifty thousand. They shall not be entitled to house and car.";

(ii) rule 5 shall be omitted.

(iii) in rule 7 for the words "as are applicable to officers holding Group 'A' post of the Central Government drawing an equivalent pay" the following shall be substituted, namely :—

"as applicable to officers of the Central Government in Apex Grade (rupees eighty thousand-fixed) in the case of Chairperson and Grade Pay of rupees twelve thousand in the Pay Band-4 (rupees 37400-67000) in the case of Members.";

(iv) in rule 8 for the words "as are applicable to officers holding Group 'A' post of the Central Government drawing an equivalent pay" the following shall be substituted, namely :—

"as applicable to officers of the Central Government in Apex Grade (rupees eighty thousand-fixed) in the case of Chairperson and Grade Pay of rupees twelve thousand in the Pay Band-4 (rupees 37400-67000) in the case of Members.";

(v) in rule 9 for the words "as may be applicable to officers holding Group 'A' post of the Central Government drawing an equivalent pay" the following shall be substituted, namely :—

"as applicable to officers of the Central Government in Apex Grade (rupees eighty thousand- fixed) in the case of Chairperson and Grade Pay of rupees twelve thousand in the Pay Band-4 (rupees 37400-67000) in the case of Members.";

(vi) rule 10 shall be omitted.

[F. No. 5/5/2003-IGC]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 784(E), dated 6th October, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.